न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,सागवाडा,जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी– दिनेश कुमार गढवाल,आर जे एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या– 182/2023 (सी.आई.एस.नं. 182/2023)

1– राजु पिता कचरू उम्र 35 वर्ष निवासी कुकडिया फला सागवाडा तहसील व पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

2– आदील पिता ईब्राहीम उम्र 28 वर्ष निवासी मसानिया तालाब घांचीवाडा सागवाडा जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

.... प्रार्थीगण–अभियुक्तगण

(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नं 376/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्त की जाति अंकित नहीं की गई है)

बनाम

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक सागवाडा, जिला डूंरगपुर

......विपक्षी–अभियोगी

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता

बाबत एफ.आई. आर. संख्या 131/2023 पुलिस थाना सागवाडा

अन्तर्गत धारा– 457, 380 भादंसं

उपस्थितिः–

1. श्री फिरोज खांन पठान, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री आजाद शाह –विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

:: आदेश :: **दिनांक 03.08.2023**

1. प्रार्थी–अभियुक्तगण राजु वगैरह की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागवाडा जिला डूंगरपुर के द्वारा दिनांक 15.07.2023 को अस्वीकार कर दिया जाने से व्यथित होकर यह आवेदन इस न्यायालय में पेश हुआ। जिस पर केस डायरी तलब की गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण ने उक्त अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें इस प्रकरण में झूठा फसाया गया है। एकमात्र कमाने वाले है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रार्थना

पत्र में दर्ज पते अनुसार स्थायी निवासी है, जिनके बाद जमानत कहीं भाग कर जाने का अंदेशा नहीं है, मौतबीर जमानतें प्रस्तुत करने को तत्पर है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। अंत में जमानत का लाभ दिया जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

4. प्रार्थना पत्र पर दौराने मौखिक बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थना में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक/संबंधित थानाधिकारी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट में अभियुक्त से पूर्व सजायाबी/पूर्व प्रकरण दर्ज होने की निम्न रिपोर्ट पेश की हैः–

कम संख्या	अभियुक्त/प्रार्थी का नाम	एफ.आई.आर. नंबर मय थाना	अपराध धारा	चार्जशीट नंबर	एफआईआर दर्ज दिनांक	गिरफ्तारी की दिनांक	न्यायालय का नाम	वर्तमान स्टेज
1	राजु	–	–	–	–	–	–	–
2	आदील	–	–	–	–	–	–	–

7. सुना गया। बहस में रखे गये तथ्यों पर मनन किया गया, केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी हातीफ द्वारा दिनांक 06.06.2023 को उपस्थित थाना सागवाडा हो एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि, दिनांक 28.05.2023 की रात्री में मैं व मेरी पत्नी खाना खाकर घर के प्रथम मंजिल पर सोये थे। अगले दिन सुबह हम उठे तो देखा तो मेरे घर के पीछे की जाली का जंगला तोडकर अज्ञात बदमाश अंदर घुसे व मेरे घर में रखी लोहे की अलमारी तोडकर उसमें रखे मेरे पत्नी के सोने के जेवरात चुडी सोने की नंग 3, सोने का ब्रेसलेट नंग एक, सोने की अंगुठी नंग तीन, चुरा कर ले गये। इसके अलावा मेरे कपडों मे रखे तीन हजार रूपये भी निकाल कर ले गये। उक्त चोरों का काफी पता किया, परन्तु उनका कोई पता नहीं चला। कानूनी कार्यवाही करावें। उसी रात में चोरो ने मेरे पडौसी कुतुबुद्धीन कोका के वहां भी घर का पिछला दरवाजा तोडकर नगदी 25 हजार रूपये चुरा कर ले गये है। इत्यादि पर पुलिस थाना सागवाडा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131/2023 अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भादंस में दर्ज कर अनुसंधान के दौरान इस मुलजिम के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भादंस

का बनना प्रमाणित माना, जिस दौरान इस मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया।

7. प्रकरण में मुलजिमान दिनांक 11.07.2023 से अभिरक्षा में है। उनके विरूद्ध धारा 457, 380 भादंसं के गंभीर प्रकृति के आरोप है। उनके द्वारा परिवादी के घर की जाली का जंगला तोडकर घर में घुस कर सोने चांदी के जेवरात व रूपये चोरी करने का गंभीर प्रकृति का आरोप है। आजकल इस क्षेत्र में इस प्रकार के चोरी के अपराध काभी बढ रहे है, जिससे आमजन में जान माल का खतरा बना हुआ है और आमजन में भय व्याप्त है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। इस स्टेज पर मुलजिमान को जमानत का लाभ दिया जाने पर अनुसंधान को प्रभावित किये जाने और गवाहान को टेम्परविद किये जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाता हूँ।

<u>आदेश</u>

8. फलस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्तगण राजु पिता कचरू उम्र 35 वर्ष निवासी कुकडिया फला सागवाडा तहसील व पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर, राजस्थान व आदील पिता ईब्राहीम उम्र 28 वर्ष निवासी मसानिया तालाब घांचीवाडा सागवाडा जिला डूंगरपुर, राजस्थान की ओर से दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 439 के प्रावधान के तहत प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। केस डायरी लौटाई जावे।

--sd--

(दिनेश कुमार गढवाल)

9. आदेश आज दिनांक 03.08.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

--sd--

(दिनेश कुमार गढवाल)